



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1036) पटना, शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2024

सं० 4/फार्मा0-14-01/2014-1149(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार फार्मासिस्टसंवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)" का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—
 - यह नियमावली "बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024" कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-6(3)(4) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम 6(3)(4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—
 - फार्मासिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।
 - विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।
- बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-7(2), (3), (4) एवं (5) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम 7(2), (3) (4) एवं (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—
 - भर्ती की प्रक्रिया।—
 - फार्मासिस्ट पद हेतु अध्यायना के आलोक में आयोग रिक्रितियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(क)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक	-	75 अंक
-----	---	---	--------

(ख)	बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से संबद्ध संस्थानों तथा गैर निजी(केन्द्र सरकार, पंचायत,नगर निकायों के नियंत्रणधीन) अस्पतालों में कार्यअनुभव प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 सेगुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिकअंक जोड़ा जायेगा।)	—	25 अंक
	कुल	—	100 अंक

- (3) कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य,चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल कीस्थिति में निदेशक तथा कडिका-2(ख) में उल्लेखित संस्थानों के स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।
- (4) संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा, जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है।
- (5) आयोग, उपर्युक्त उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किए जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।
- (6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

4. बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट-1(1) में उल्लेखित टिप्पणी अंश का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के परिशिष्ट-1(1) में उल्लेखित टिप्पणी अंश को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—

"[टिप्पणी-बी0 फार्मा एवं एम0 फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी0 फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।]"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

24 अक्टूबर 2024

सं० 4/फार्मा0-14-01/2014-1149(4) दिनांक 24अक्टूबर 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 24th October 2024

No:-4/फार्मा0-14-01/2014-1149(4) In exercise of the powers conferred by provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Pharmacist Cadre Rules, 2014"

1. **Shorttitle, extent and commencement.**—

- (1) These Rules may be called the "Bihar Pharmacist Cadre (Amendment) Rules, 2024."
- (2) It will extend to the whole state of Bihar.
- (3) It will come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Substitution of rule-6 (3)(4) of the "Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014.—
Rule 6 (3)(4) of the said Rules shall be substituted by the following:—

"(3) For direct recruitment in the Pharmacist Cadre, minimum age limit shall be 18 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government."

"(4) 1st August of the Advertisement year shall be deemed to be cut off date for determination of age."

3. Substitution of Rule-7(2), (3), (4) and (5) of the Bihar Pharmacist Cadre Rule-2014. Rule-7(2), (3), (4) and (5) of the said Rules shall be substituted by the following:—

"7. Procedure of recruitment.—

(2) The commission on the requisition of Pharmacist Post shall advertise the vacancies and invite application forms from eligible candidates, and on the basis of written competitive examination, experience, the Candidates shall be selected. :-

(a)	Full marks for the written competitive Examination	—	75 marks
(b)	State Government hospitals located in state of Bihar/Institutions attached with health department, Govt. of Bihar and Non Private (under control of central Government, Panchayati Raj institutions, and urban local bodies) 5 marks every year for work experience are given in these hospitals to the Maximum of 25 marks (Number of working days as part of an year will be multiplied by 5 and then after divided by 365, shall be added as proportional marks)	—	25 marks
	Total	—	100 marks

- (3) The benefit of work experience shall be given only to those applicants who pass the competitive examination. The certificate of work experience will be issued by the Civil Surgeon of the concerned district, Principal of Medical College, Superintendent of Medical College and Hospital, Director in case of Super speciality Hospital and in Case of head of those Institutions which are mentioned in Para 2 (b) will be acceptable.
- (4) Benefit of work experience of contractual worker and upper age relaxation for the period of contractual engagement will be applicable for those regular appointed candidates who are working on the same post.
- (5) The Commission shall prepare merit list on the basis of sub-rule (2) of rules and shall send reservation category wise recommendation in accordance with the requisitioned vacancies to the Department. Thereafter, the appointing authority concerned shall make

appointments after verification of certificate, conducting medical tests, verification of antecedents, etc and complying guidelines regarding to the appointment issued by the Government (General Administration Department), from time to time.

- (6) After recommendation of the Commission, it shall be necessary to follow instructions regarding procedure of appointment issued by the Government, (General Administration Department), from time to time.

4. Substitution of Appendix-1(1) of the Bihar Pharmacist Cadre (Amendment)Rule-2014. Appendix-1(1)of the said Rules shall be substituted by the following:—

"[Note:- B. Pharma & M. Pharma certificate holders may be eligible provided they possess qualification of Diploma in Pharmacy]

**By the order of the Governor of Bihar,
(Sd)-Illegible,
Secretary of Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1036+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>